डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS

वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 88, 53 आर.टी.ए. 1955

प्रकरण संख्याः- 189/2025

1 अंग्रेज सिंह पुत्र श्री गुरनाम सिंह जाति कुम्हार निवासी मटोरियावाली ढाणी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 तेज कौर पत्नी श्री गुरनाम सिंह, जाति कुम्हार निवासी मटोरियावाली ढाणी, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (फौत)

-:वादीगण

बनाम

1 पूर्ण सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह जाति कुम्हार निवासी मटोरियावाली ढाणी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 बीकर सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह जाति कुम्हार निवासी मटोरियावाली ढाणी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3 महेन्द्र सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह जाति कुम्हार निवासी मटोरियावाली ढाणी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4 कृपाल सिंह पुत्र श्री मघर सिंह जाति कुम्हार निवासी मटोरियावाली ढाणी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

5 भाग सिंह पुत्र श्री मघर सिंह जाति कुम्हार निवासी मटोरियावाली ढाणी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

6 सुखविन्द्र सिंह पुत्र श्री मघर सिंह जाति कुम्हार निवासी मटोरियावाली ढाणी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

7 खुशवीर कौर पुत्री श्री लाल सिंह जाति कुम्हार निवासी मटोरियावाली ढाणी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

8 मदन सिंह पुत्र श्री गुरनाम सिंह जाति कुम्हार निवासी मटोरियावाली ढाणी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

9 गुरमीत कौर पुत्री श्री गुरनाम सिंह पत्नी श्री सुखदेव सिंह जाति कुम्हार निवासी मिठ्ढी तहसील लम्बी, जिला श्री मुक्तसर साहिब।

10 जसविन्द्र कौर पुत्री श्री गुरनाम सिंह पत्नी श्री गुरजंट सिंह जाति कुम्हार निवासी मिठ्ढी तहसील लम्बी, जिला श्री मुक्तसर साहिब।

11 बलवीर सिंह पुत्र श्री संता सिंह जाति कुम्हार निवासी मटोरियावाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

12 देना बैंक शाखा हनुमानगढ़ जंक्शन हनुमानगढ़ जरिए शाखा प्रबंधक।

13 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नौरंगदेसर हनुमानगढ जरिए शाखा प्रबंधक।

14 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 88, 53 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ मांगी लाल आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे बहाजरी श्री बलवीर सिंह वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री रामकुमार कस्वां वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 श्री मनीष कुमार वकील प्रतिवादी सं. 8 ता 10 व राजपैरोकार पेश होकर हुक्म दिया

ाता है व डिक्री दी जाती है कि:- इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.07.2025 ो पालना में तहसीलदार हनुमानगढ के पत्रांक भू.अ./2662 दिनांक 22.07.2025 द्वारा विभाजन स्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुना गया। वादी सं. 1 द्वारा विभाजन प्रस्ताव र आपति पेश कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 8 ता 10 के पक्ष में प्राप्त रकबा वादी सं. 1 व तिवादी सं. 8 की कब्जाकाश्त होने का अंकन किया है तथा अन्य हिस्सेदारों द्वारा हकत्याग होने का ंकन किया है जिसका राजीनामा भी पत्रावली में पेश हो चुका है। इसके अलावा चक 5 एमडब्ल्यू प. . 150/338 मु.न. 40 कि.न. 2 में उत्तरी सींव पर 1 बिस्वा पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत किये ाने का निवेदन किया। उभयपक्षों की उपस्थिति में आपति स्वीकार कर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के म्न प्रकार से शेष वादपत्र डिक्री किया जाता है कि:- **वादी सं. 1 अंग्रेज सिंह व प्रतिवादी सं. 8 ादनसिंह का रकबा ब.हि.ब.** - चक 5 एमडब्ल्यू प.न. 153/338 मु.न. 43 कि.न. 18/1/.246, प. . 149/336 मु.न. 21 कि.न. 16/2/.088, 25/.253 प.न. 149/337 मु.न. 34 कि.न. 5/1/. :28, 5/2/.025, 6/2/.026, 6/3/.214 प.न. 150/338 मु.न. 40 कि.न. 3, 8 कुल .506 प. . 150/339 मु.न. 47 कि.न. 9/2/.087, 12/1/.031 उत्तरी दिशा, 12/2/.031 उत्तरी दिशा, 3/.253, महाकुल 1.988 हैक्टेयर। **कृपालसिंह, भागसिंह, लालसिंह, सुखमन्द्र सिंह पि. मघरसिंह का कबा ब.हि.ब.**- चक 5 एमडब्ल्यू प.न. 153/338 मु.न. 43 कि.न. 17/2/.246, प.न. 150/338 ु.न. 40 कि.न. 10/2/.228, 11/2/.228, 20/2/.228, 21/2/.228 प.न. 150/339 मु.न. 47 के.न. 11/1/.228, 10/2/.228, 11/3/.070 उत्तरी दिशा, 18/.253 महाकुल 1.937 हैक्टेयर। **ूर्णसिंह, महेन्द्र सिंह, बिकरसिंह का रकबा ब.हि.ब.**- चक 5 एमडब्ल्यू प.न. 153/338 मु.न. 43 कि. . 16/1/.246, प.न. 150/336 मु.न. 22 कि.न. 11/2/.013, 12/2/.114, 19/.253, 20/1/. 228, 21, 22 प.न. 150/339 मु.न. 47 कि.न. 11/3/.082, 12/1/.096, 12/2/.094, 19/1/.078, 23/2/.228 महाकुल 1.938 हैक्टेयर। **गै.मु. रास्ता प.न. 150/339 मु.न. 47 कि.न. 12/2/.001 दक्षिणी पूर्वी कोने में 8 गुणा 16 फीट (पूर्व-पश्चिम 8 फीट व उत्तर दक्षिण 16 फीट), .न. 150/338 मु.न. 40 कि.न. 2 में उत्तरी सींव पर 1 बिस्वा चौडाई में पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर खाता अलग व रकमराज अलग कायम किया जावें।**

तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व खातेदार काश्तकार का कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार अमलदरामदगी कर लगाम कायम किया जावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। विभाजन प्रस्ताव डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

निज XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक XXX अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 09.10.2025 को जारी किया गया।

नोट:- डिक्रीत आराजी रहन हो तो, बाद रहन मुक्त के डिक्री का निष्पादन किया जावें।

(मंगी लाल) RAS

सहायक कलक्टर

एवं उपखण्ड अधिकारी

हनुमानगढ